F.No. 1(1)/2008-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 17th March, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2008.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1 (8)/2007-E-II (B)/212 dated 11th September, 2007 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 41% to 47% with effect from 1st January, 2008.

2 The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1 (13)/97-E-II (B) dated 3.10.1997 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders. However, with effect from 01.04.2004, Dearness Allowance is computed on the basis of Basic Pay, Dearness pay, Stagnation Increment and NPA. Provisions contained in para 3 of this Ministry's OM No.1 (13)/97-E.II.(B) dated 3.10.1997, therefore, stand amended to this extent.

3 The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4 The payment of arrears of Dearness Allowance for the months of January and February,2008 shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2008.

5 These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6 In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

R. Premanand

(R. Prem Anand)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list etc.
Copy (with usual number of spare copies) to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

फा.सं.1(1)/2008-संस्था-II (ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2008 से लागू संशोधित दरें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(8)/2007-संस्था-II(ख)/212 का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को दिनांक 01 जनवरी, 2008 से 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 47 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 3.10.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं.1(13)/97-संस्था-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे। तथापि, 01.04.2004 से प्रभावी महंगाई भत्ते का परिकलन मूल वेतन, महंगाई वेतन, गतिरोध वेतन वृद्धि और एन.पी.ए. के आधार पर किया जाएगा। अत: इस मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. 1(13)/97-संस्था-II(ख), दिनांक 03.10.1997 के पैरा 3 में निहित उपबंधों को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

4. इस आदेश के तहत जनवरी, और फरवरी, 2008 माह के लिए देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2008 के वेतन संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

5. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष में प्रभार्य होगा। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं।

आर. प्रेम आनन्द

(आर. प्रेम आनन्द)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:- नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रेषित (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।